तारीख पेशी मय हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना** **उनवानी रेखा यादव बनाम भूमिधारी पाटन मु.सं. 63/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-03-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। वकील वादिया की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादिया ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील वादिया की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादिया के पति का गलत नाम ''कुरडा पुत्र पोखर'' दर्ज हैं जबकि वादिया के पति का नाम ''कुरडा पुत्र पोखर'' की जगह '' कुलदीप यादव पुत्र पोकरमल'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात तथा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 में पटवारी प0ह0 डाबला, भू–अभिलेख निरिक्षक डाबला एवं तहसीलदार पाटन द्वारा की गई रिपोर्ट से होती हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वादिया के पति का नाम ''कुलदीप यादव पुत्र पोकरमल'' किया जाना उचित हैं एवं संलग्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक पास–बुक, वादिया के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बिजली बिल में भी वादिया के पति का नाम कुलदीप यादव ही दर्ज हैं। अतः वाद वादि स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:– **<u>आदेश</u>** तहसीलदार पाटन तन ग्राम डाबला तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 335, 336, 345 ता 347 कुल किता 05 कुल रकबा 0.9400 है0 में वादिया के पति का गलत दर्ज नाम ''कुरडा पुत्र पोखर'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''कुलदीप यादव पुत्र पोकरमल'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.12.26 11:46:01 IST Reason: SelfAttested (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. रेखा यादव पत्नी कुलदीप यादव जाति अहीर निवासी ढाणी चितराला तन डाबला तहसील पाटन जिला सीकर हाल निवासी वार्ड नं. 11 उद्योग विहार, भट्टा कॉलोनी एल.एन.जी. 11, गंगानगर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील पाटन जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 63 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री अनिल शर्मा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तहसीलदार पाटन तन ग्राम डाबला तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 335, 336, 345 ता 347 कुल किता 05 कुल रकबा 0.9400 है0 में वादिया के पति का गलत दर्ज नाम "कुरडा पुत्र पोखर" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "कुलदीप यादव पुत्र पोकरमल" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25 माह 03 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

दस्तखत..........
ओहदा..........

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय [illegible] मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.26 11:46:01 IST
Reason: SelfAttested